अधिसूचना सं0 12/2014-सेवा कर नई दिल्ली, तारीख 11 जुलाई, 2014

सा.का.नि. (अ) केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 75 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. सं. 601(अ), तारीख 10 सितम्बर, 2004 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 26/2004-सेवा कर, तारीख 10 सितम्बर, 2004 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उक्त धारा के प्रयोजन के लिए सेवा कर के विलंबित संदाय के लिए प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की निम्नलिखित दरें नियत करती हैं, जो नीचे सारणी में दी गई है :--

सारणी

क्रम सं0	विलंब की अवधि	साधारण ब्याज की दर
(1)	(2)	(3)
1.	छह मास तक	अठारह प्रतिशत
2.	छह मास से अधिक और एक वर्ष तक	विलंब के पहले छह मास के लिए अठारह प्रतिशत और छह मास से अधिक विलंब के लिए चौबीस प्रतिशत
3.	एक वर्ष से अधिक	विलंब के पहले छह मास के लिए अठारह प्रतिशत; छह मास से अधिक एक वर्ष तक की अवधि के लिए चौबीस प्रतिशत और एक वर्ष से अधिक किसी विलंब के लिए तीस प्रतिशत

2. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 2014 से प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. 334/15/2014-टीआरयू]

(अक्षय जोशी)
अवर सचिव, भारत सरकार